फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रोड़ीलाल डांगी वगैरह — **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा –131, 133 एल.आर.एक्ट — **पत्रावली संख्या : 45/24**

जीसीएमएस : 2024/191

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 20.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई।

तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डबोक के वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी संवत अनुसार आराजी नम्बर 3719/1693 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म बंजड़ नातू खां पुत्र महमद खां 1/2 जाति मुसलमान व रोडीलाल पुत्र नवला हिस्सा 1/2 जाति डांगी सा. ओडवाडिया हाल डबोक खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। सेग्रीगेशन से पूर्व उक्त बंजड़ होकर रोडिलाल पिता नवल डांगी सा. ओडवाडिया हाल डबोक 1/2 नातू खां पिता महमद खां 1/2 मुसलमान सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु उक्त आराजी को सेग्रीगेशन के समय ऑनलाईन करते समय 3719/1693 दर्ज कर वास्तविक आराजी नम्बर 1693 के भाग के रूप में दर्ज कर गलत तरमीम कर दी गई। आराजी नम्बर 1693 रकबा 0.3480 हैक्टेयर होकर अमजद हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा. उदयपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं उक्त सम्पूर्ण आराजी पर उत खातेदार अमजद हुसैन का ही कब्जा है एवं मौके पर नपती अुनसार रकबा भी लगभग 0.3480 हैक्टेयर है। खातेदार रोडीलाल पिता नवला डांगी सेटलमेंट नक्शे अनुसार ही सही वास्तविक आराजी नम्बर 3719/2015 पर काबिज होकर उक्त आराजी पर मकान बनाकर निवासरत है। प्रार्थी व मौतबिरान अनुसार प्रार्थी न तो कभी आराजी नम्बर 1693 पर काबिज रहा व न ही कभी काश्त करने गया। वर्तमान में ऑनलाईन नक्शे अनुसार आराजी नम्बर 1693 का रकबा भी वास्तविक रकबे से बहुत कम है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम डबोक पटवार हल्का डबोक की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 566 पर दर्ज आराजी नम्बर 3719/1693 रकबा 0.0486 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार [illegible]जी का सेग्रीगेशन से पूर्व वास्तविक आराजी नम्बर 3719/2015 [illegible] सेग्रीगेशन के पश्चात इसका आराजी नम्बर 3719/1693 अंकित करते हुए इस आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

तरमीम मूल आराजी नम्बर 1693 में कर दी गई। जबकि उक्त आराजी 2015 का भाग होकर सेटलमेंट के नक्शे में आराजी नम्बर 2015 में तरमीम थी। इस प्रकार सेग्रीगेशन के दौरान उक्त आराजी के बट्टा नम्बर बदलकर सेटलमेंट के नक्शे अनुसार तरमीम नही कर अन्य जगह तरमीम कर दी गई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सेग्रीगेशन के दौरान पटवारी हल्का के पास उपलब्ध रिकॉर्ड को केवल मात्र ऑनलाईन किया जाना था। अन्य जगह तरमीम नही की जानी थी तथा ना ही आराजी का नम्बर बदला जाना था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त आराजी का बट्टा नम्बर भी बदला गया एवं तरमीम भी सेग्रीगेशन से पूर्व के नक्शे अनुसार नही की गई। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऑफलाईन रिकॉर्ड अनुसार ऑनलाईन नही कर भारी भूल की है। ऐसे में सेग्रीगेशन से पूर्व के बट्टा नम्बर अंकित करते सेग्रीगेशन के नक्शे अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम डबोक पटवार हल्का डबोक की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 566 पर दर्ज आराजी नम्बर 3719/1693 रकबा 0.0486 हेक्टेयर के आराजी नम्बर 3719/2015 अंकित करते हुए भूमि की तरमीम सेग्रीगेशन से पूर्व के नक्शे अनुसार जो इस पत्रावली में प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार की जावे। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested